फा. सं. जीएसटी/आईएनवी/ आईएसपी/19-20
वित्तमंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
(जीएसटी-अन्वेषण प्रकोष्ठ)

10वां माला,टावर-2,
जीवन भारती बिल्डिंग
कनाट सर्कस, नई दिल्ली
दिनांक 16 अगस्त, 2021

निर्देश संख्या 02/2021-22 [जीएसटी – अन्वेषण]

विषय: केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीईआईबी) के साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों और विभाग द्वारा सूचना साझा करने के लिए प्रोटोकॉल के संबंध में।

सीईआईबी के साथ सूचना साझाकरण प्रोटोकॉल के संबंध में बोर्ड के निर्देश संख्या 13/2018 - सीमा शुल्क दिनांक 29 अगस्त,2018 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. राजस्व विभाग, नई दिल्ली के एफएटीएफ सेल ने दिनांक 04 अगस्त, 2021 के संचार के माध्यम से अगली ईआईसी बैठक में चर्चा के लिए प्राप्त प्रस्ताव को परिचालित किया है, जिसमें सीईआईबी ने निम्नलिखित अवलोकन द्वारा इस बात पर प्रकाश डाला है कि विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसिया (एलईए) सूचना साझाकरण प्रोटोकॉल (आईएसपी) के तहत सूचना साझा नहीं कर रहे हैं।:

"सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को क्रेडिट अनुरोध रिपोर्ट सीईआईबी द्वारा बनाए गए डेटाबेस के आधार पर एलईए द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित होती है। यद्यपि इस हेतु एक सूचना साझाकरण प्रोटोकॉल (आईएसपी) है; लेकिन पुनरावृत्त अनुस्मारकों के बावजूद, एलईए से नियमित, समय पर और पूरे आंकड़े नहीं आ रहे हैं। विभिन्न एलईए द्वारा आज तक दर्ज किए गए सभी उल्लंघनों के संबंध में प्राप्त डेटा न तो व्यापक है और न ही अद्यतन है। चूंकि परिपत्र संख्या 4/5/2014-विज. दिनांक 13.05.2015 के अनुसार सीईआईबी की रिपोर्ट प्राप्त जानकारी पर आधारित होती है, इसलिए इस डेटा को विभिन्न संस्थाओं को ऋण स्वीकृत करने का एकमात्र आधार बनाना जोखिम से भरा है। इसलिए, सभी एलईए को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे समय पर और पूरा डेटा साझा करें ताकि क्रेडिट अनुरोध रिपोर्ट के संबंध में बैंकों को विश्वसनीय और ठोस आंकड़े प्रदान किये जा सकें।"

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह दोहराया जाता है कि आपके अधिकार क्षेत्र के तहत सभी इकाइयों को सूचना साझाकरण प्रोटोकॉल [निर्देश संख्या 13/2018 - सीमा शुल्क दिनांक 29 अगस्त, 2018 के साथ संलग्न] के संदर्भ में वांछित जानकारी सीईआईबी के साथ साझा करने के लिए निर्देशित किया जाए और चरणवार समय-सीमा का पालन किया जाएगा।

4. यह सदस्य (अन्वेषण) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(विजय मोहन जैन)
आयुक्त (जीएसटी-अन्वेषण),सीबीआईसी
दूरभाष :011-21400623
ईमेल आईडी: gstinv-cbic@gov.in

सेवा में:

1. प्रधान महानिदेशक [डीजीजीआई],नयी दिल्ली;
2. प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त,सीजीएसटी, सभी जोन।